


26²/₂₀ वादी/प्राची अधिवक्ता उपस्थित।
अप्राची संख्या 1 की ओर से
अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह
ने कालतनामा पेश किया।
श्री गज 10 महोदय अन्य कोष
में धरत हैं। पत्रावली दिनांक
23/03/2020 को पेश हो दिनांक

19³/₂₀ आज मह पत्रावली प्राची अधिवक्ता द्वारा
मूलवाद में प्राचीना पत्र पेश करने पर
पेशी में ली गई प्राचीना पत्र में विवेक
किया कि वादी का वरु पंचायत ने शजीनामा
करवा दिया है। इसलिए प्राची उक्त
अनवान प्रकरण को आगे नहीं चलाना
चाहता। पत्रावली आज की पेशी में ली
जाकर दारिद्वल दफ्तर की जाती। प्राची
अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली
का अतलोकन किया गया। प्राची
अधिवक्ता द्वारा प्राचीना पत्र नोटिस
करने पर इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। प्रकरण में जारी दिनांक
17/01/2020 की अंश्याची विवेधारा निरस्त
की जाती है। पत्रावली निती लेकर नम्वर
से कम हो।


(मूलचन्द लूणिया)
उपस्थित अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणापुर

